रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 8 फरवरी, 2000/19 माघ, 1921

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 21 जनवरी, 2000

संख्या लो0नि0 (ख)ए(7) 1-166/99.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव सुन्हाणी, तहसील झन्डूता, जिला बिलासपुर में भुमारवीं बरठी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते है।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू अर्जन सनाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला : बिलासपुर तहसील : झन्डूता

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बीघे	बिस्वा
1	2	3	4
सुन्हाणी	1658/332	0	16
	1766/1610	2	11
	1765/1610	1	13
	किता . . 3	5	00

यत: हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु:* हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त* प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, चम्बा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

*गांव मोतला, उप-तहसील सिहुंता, जिला चम्बा में ब्रमनाला-धुलारा-मोतला-थकोली सड़क के निर्माण हेतु।

संख्या लो0 नि0 (ख) 7(1)-78/99. शिमला-2, 24 जनवरी, 2000.

विस्तृत विवरणी

जिला : चम्बा तहसील : सिहुंता

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बीघा	बिस्वा
1	2	3	4
मोतला न0 ह0 316	183 2/1	0	4
	184/1	0	7

1	2	3	4
	195	0	2
किता . .	3	0	13

सा0	बट्टा
1	2

*गांव मरोगा, तहसील सिहुंता, जिला चम्बा में द्रमताला धुलारा-मोतला-रजेई-खरगट्टा सड़क के निर्माण हेतु ।

संख्या लो0 नि0 (ख) 7(1)77/99.

शिमला-2, 24 जनवरी, 2000.

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बीघा	क्षेत्र बिस्वा
1	2	3	4
सरोगा न0ह0 297.	160/1	0	2
	161/1	0	16
	241	0	8
	244	0	10
	245	0	13
	246	0	2
	247/1	0	14
	248	0	8
	319/1	0	9
	320/1	0	12
	321	0	3
	322	0	3
	323/1	0	2
	442	0	4
	443	0	2
	444	0	19
	446	0	6
	738/1	0	9
	746/1	0	4
	747	0	11
	749/1	1	4
	750/1	0	5
	759	1	0
	760/1	1	2
	810	0	12
	812/1	0	1
	813/1	0	1
	814/1	0	2
	815	0	5
	816	0	11
	841/1	0	10
	842/1	0	15
	843/1	0	6
	844/1	0	3
	1008/1	0	3
	1161/1	0	15
	1170/1	0	1
	1171/1	0	4
	1171/1/1	0	5
	1173/1	0	4
	1174	0	2
	1175/1	0	16
	1176	0	3
	1177	0	2
	1178/1	0	1
	1202/2	0	7
	1203	0	11
	1204	0	3
	1208	0	6
	1209	0	4
	1211	0	7
	1216/1	0	4
कित्ता ..	52	19	12

यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन* हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त* प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, कुल्लू के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

*गांव भेखली, मौजा फाटी सारी, तहसील व जिला कुल्लू में भेखली-बनोगी-ब्यासर सड़क के निर्माण हेतु ।

संख्या लो0 नि0 (ख)ए(7) 1-138/99. शिमला-2, 21 जनवरी, 2000.

विस्तृत विवरणी

जिला : कुल्लू तहसील : कुल्लू

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बी0	वि0	वि0
1	2	3	4	5
भेखली	3190/1	0	18	01
	3209/1	0	11	08
	कित्ता .. 2	1	09	09

*गांव फाटी शिरड़, कोठी रायासन, तहसील व जिला कुल्लू में राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21 कुल्लू-मनाली मार्ग के निर्माण हेतु ।

संख्या लो0 नि0 (ख) 1-163/99. शिमला-2, 21 जनवरी, 2000.

शिरड़	669/1	0	03	16
	कित्ता .. 1	0	03	16

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त एवं सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 10 फरवरी, 2000/21 माघ, 1921

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग
विधायी (अंग्रेजी) शाखा

अधिसूचना

शिमला-2, 18 जनवरी, 2000

संख्या एल0एल0आर0-ई0(9)-10/96-लैज.—ठाकुर सुभाष चन्द, अधिवक्ता ने उप-मण्डल, शाहपुर, जिला कांगड़ा की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी ऐक्ट, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है;

और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।

अत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जिला मैजिस्ट्रेट, कांगड़ा की सिफारिशों पर और नोटरी नियम, 1956 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ठाकुर सुभाष चन्द अधिवक्ता को उप-मण्डल शाहपुर, जिला कांगड़ा की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,

रामेश्वर शर्मा,
सचिव

[*Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E* (9) 10/96-*Leg., dated* 10-1-2000 *as required under clause* 3 *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19*th January*, 2000

No. LLR-E(9)10/96-Leg.—Whereas Thakur Subhash Chand, Advocate, Shahpur has applied for appointment as Notary under Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Shapur Sub-Division, District Kangra;

And whereas all formalities required under the said Act and Rules have been completed.

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the District Magistrate, Kangra who is the competent authority and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the Notaries Rules, 1956 is pleased to appoint Thakur Subhash Chand, Advocate, Shahpur as Notary within the limits of Shahpur Sub-Division, District Kangra, Himachal Pradesh with immediate effect and with the direction that his name may be entered in the Registrer of Notaries maintained by the Government.

By order,

RAMESHWAR SHARMA,
Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171 005 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 10 फरवरी, 2000/21 माघ, 1921

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

नोटिस

हमीरपुर, 31 जनवरी, 2000

संख्या पंच0 एच0 एम0 आर0-ग (4)-27/86-303.—क्योंकि ग्राम पंचायत पुतड़ियाल, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर ने इस कार्यालय को अपने प्रस्ताव सं0 3, दिनांक 15-10-1999 तथा प्रधान, ग्राम पंचायत के पत्र दिनांक 20-1-2000 के द्वारा जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर को सूचित किया गया है कि श्री हरनाम सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत पुतड़ियाल, दिनांक 24-7-1999 से 12-1-2000 तक पंचायत की बैठकों से बिना पंचायत को सूचना दिए अनुपस्थित रह रहे हैं ;

और क्योंकि उक्त श्री हरनाम सिंह, उप-प्रधान के विरुद्ध पंचायत की बैठकों से दिनांक 24-7-1999 से 12-1-2000 तक अनुपस्थित रहने के आरोप पर कार्यवाही वांछित है ।

अतः इससे पूर्व कि उक्त श्री हरनाम सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत पुतड़ियाल के विरुद्ध आगामी कार्यवाही की जाए, मैं, अनुराधा ठाकुर, भा0 प्र0 से0, उपायुक्त हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1) (ख) व (2) के अन्तर्गत उन्हें

नोटिस जारी करती हूं कि वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 24-2-2000 को ग्राम पंचायत की बैठकों में अनुपस्थिति के कारण स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सुनवाई हेतु पश होवे अन्यथा अनुपस्थिति की अवस्था में मामला एकतरफा निर्णित किया जाएगा ।

अनुराधा ठाकुर, भा0 प्र0 से0,
उपायुक्त, हमीरपुर ।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

हमीरपुर, 31 जनवरी, 2000

सं0 हमीर-पंच (1) 23/98-99-II-126-50.—मैं, हेम राम शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर उन शक्तियों के अधीन जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 के साथ पठित, हि0 प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत प्राप्त है, खण्ड विकास अधिकारी, हमीरपुर की सिफारिश पर निम्नलिखित ग्राम पंचायत के पदाधिकारी का त्याग-पत्र निम्न सारणी में उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से स्वीकृत करता हूं :—

सारणी

क्र0 सं0	जिला/विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	पदाधिकारी का नाम	पद का नाम	दिनांक स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
हमीरपुर :					
1.	हमीरपुर	कुठेड़ा	श्री प्रकाश चन्द	उप-प्रधान	1-12-99

हेम राज शर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी ।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

मण्डी, 1 फरवरी, 2000

संख्या पी0सी0 एन0-एम0 एन0 डी0-ए (1) 61/99-397-415.—मैं, बी0 सी0 भण्डारी, जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 के साथ पठित हि0 प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम,

1997 के नियम 135 के उप-नियम 2 के अन्तर्गत प्राप्त हैं निम्न सारणी अनुसार पंचायत पदाधिकारियों द्वारा अपने पदों से दिए गए त्याग-पत्रों को तुरन्त स्वीकार करता हूं :—

क्र0सं0	नाम विकास खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	पंचायत पदाधिकारी का नाम व पता	त्यागपत्र देने का कारण
1	2	3	4	5
1.	सदर	घाण	श्री परम देव, प्रधान	नौकरी
2.	करसोग	पलिण्डी	श्री खुबा राम, वार्ड-2, कोट	अस्वस्थता
3.	रिवालसर	सैंण	श्री जगदीश चन्द, उप-प्रधान	-यथो-

बी0 सी0 भण्डारी,
जिला पंचायत अधिकारी ।

कार्यालय उपायुक्त, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

सोलन-173212, 22 जनवरी, 2000

संख्या एस0 एल0 एन0-3-38 (पंच) झाझा/99-290-95.—क्योंकि श्री भगवान सिंह प्रधान ग्राम पंचायत झाझा, विकास खण्ड कण्डाघाट, जिला सोलन के विरुद्ध विकास खण्ड अधिकारी कण्डाघाट ने बाबत निर्माण रास्ता नाहर से शिकोग के बारे जांच करने के उपरान्त जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उससे उक्त प्रधान स्वीकृत की गई योजना की राशि का छलहरण/दुरूपयोग तथा पेशगी के रूप में अनियमित रूप से अपने पास रखने के दोषी पाए गए हैं ।

यह कि निर्माण रास्ता नाहर से शिकोग के लिए आ0 डी0 ए0-II (ई0 एस0 ए0)-5/97, दिनांक 1-9-97 के अन्तर्गत मु0 50,000/- रु0 स्वीकृत किए गए थे जिसमें से खण्ड विकास अधिकारी कण्डाघाट ने पहली किस्त के रूप में दिनांक 24-9-97 को चैक नं0 0570249 द्वारा मु0 15000/- रु0 तथा दिनांक 31-3-98 को चैक नं0 0686863 द्वारा दूसरी किस्त के रूप में मु0 25000/- रु0 प्रधान ग्राम पंचायत झाझा को उपरोक्त रास्ते के निर्माण के लिए दिए । उपरोक्त योजना के निर्माण पर प्रधान द्वारा व्यय का हिसाब पंचायत को दिया गया जो रोकड़ बही में दिनांक 26-12-97 पृष्ट 27 पर निम्न प्रकार से दर्ज है :—

1. योजना के लिए खरीद रेता, रोड़ी	11700.00
2. ढुलाई पत्थर	4200.00
योग ..	15900.00

परन्तु खण्ड विकास अधिकारी कण्डाघाट द्वारा उपरोक्त योजना का दिनांक 19-12-99 को मौकाव देखा गया । उस समय रास्ता निर्माण के लिए क्रय की गई सामग्री ग्राम महोग के पास सड़क पर रेता, रोड़ी पत्थर आदि दिखा कर उन्ह प्रधान द्वारा शीघ्र कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया । दिनांक 1-1-2000

को खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान उस स्थान पर पहुंचे जहां पर प्रधान ग्राम पंचायत झाझा ने (ग्राम महोग के सड़क किनारे) रास्ता निर्माण के लिए पहल दिखाए गए सामान रेता, रोड़ी आदि थे, वहां से गायब थे। श्री मदन लाल उपाध्यक्ष पंचायत समिति कण्डाघाट व उप-प्रधान ग्राम पंचायत झाझा के सन्मुख श्री प्यारे लाल पुत्र श्री बालक राम ने बताया कि रोड़ी उनकी है, उन्होंने मकान बनाने का काम शुरू कर रखा है। इसी प्रकार श्री रिखी राम पुत्र श्री लछमी सिंह ने भी बताया कि सड़क पर रेत उतारा था जो मकान निर्माण कार्य में प्रयोग कर रहा हूं और पत्थर भी उसी ग्राम के श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री बालक राम के बताए गए, इस से स्पष्ट है कि श्री भगवान सिंह प्रधान ग्राम पंचायत झाझा फर्जी वाऊचर पचायत में देकर व खण्ड विकास अधिकारी कण्डाघाट को धोखा देकर मु0 15900/- रु0 की राशि के छलहरण करने के दोषी पाए गए हैं।

यह कि दिनांक 12-2-98 की रोकड़ पृष्ट 29 पर मु0 13815/- रु0 उपरोक्त स्कीम के निर्माण कार्य पर मस्ट्रोल माह 12/97 व्यय दर्ज किया गया है परन्तु खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के कनिष्ट अभियन्ता द्वारा मौका का मूल्यांकन करने पर स्कीम पर व्यय मु0 9600/- रु0 आंका गया है। प्रधान मु0 4215/- रु0 का अधिक व्यय दर्ज करके राशि के दुरूपयोग के दोषी पाए गए हैं।

यह कि प्रधान श्री भगवान सिंह ग्राम पंचायत झाझा ने दिनांक 6-4-98 को निर्माण रास्ता नाहर से शिकोग के लिए मु0 25000/ रु0 पेशगी के रूप में राशि ली जिसमें 17-4-98 को मु0 15000/- रु0 पेशगी वापस दिखा कर दूसरी स्कीम टैंक निर्माण क्वारटू पर मु0 14900/- पर अदायगी करके समायोजन किया गया, जो अनियमित है और मु0 10,000/- रु0 पेशगी राशि रख कर निधि के दुरूपयोग करने के दोषी पाए गए हैं।

उपरोक्त वर्णित तथ्य से स्पष्ट है कि प्रधान श्री भगवान सिंह ग्राम पंचायत झाझा, विकास खण्ड कण्डाघाट सरकारी धनराशि के दुरुपयोग/गबन करने में संलिप्त पाए गए हैं और इस प्रकार प्रधान अपने पद का दुरुपयोग करने और अपनी शक्तियों तथा कर्तव्यों को भली-भांति न निभा पाने में दोषी पाए गए हैं, जिसके फलस्वरूप उनके विरुद्ध हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 व उनके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन कार्यवाही अमल में लाना आवश्यक है ताकि वह पंचायती रिकार्ड में किसी प्रकार की छेड़छाड़ न कर सकें तथा अपने पद व शक्तियों का दुरुपयोग न कर सकें।

अतः मैं, आर0 डी0 धीमान, उपायुक्त सोलन, जिला सोलन, हि0 प्र0, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 (2) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री भगवान सिंह प्रधान ग्राम पंचायत झाझा, विकास खण्ड कण्डाघाट, जिला सोलन को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए आदेश देता हूं कि क्यों न उन्हें उक्त कृत्यों के लिए प्रधान पद से निलम्बित किया जाए। उनका उत्तर इस नोटिस के जारी होने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर-2 खण्ड विकास अधिकारी, कण्डाघाट के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहेंगे तथा उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आर0 डी0 धीमान,
उपायुक्त।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बीरवार, 10 फरवरी, 2000/21 माघ, 1921

हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 1 फरवरी, 2000

संख्या 5-26/94 ई० एल० एन०.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, बनाते हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2000 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. (1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या 5-20/94-ई0 एन0 एन0, तारीख 2 फरवरी, 1996 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, वर्ग-I, (राजपत्रित) सेवाएं सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1995 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (2) (1) के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जायेगी ।

भीम सेन,
सचिव ।

उपाबन्ध "क"

निर्वाचन विभाग हिमाचल प्रदेश में सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1 पद का नाम	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
2. पदों की संख्या	1 (एक)
3. वर्गीकरण	वर्ग-I (राजपत्रित)
4. वेतनमान	10025-275-10300-340-12000-375-13500-400-15100 रुपये ।
5. चयन पद अथवा अचयन पद	चयन पद
6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा ।	लागू नहीं
7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं ।	लागू नहीं
8. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	आयु : लागू नहीं शैक्षणिक अर्हताएं : लागू नहीं
9 परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिये विस्तार किया जा सकेगा, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे ।
10. भर्ती की पद्धति--भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनमें प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जायेगा ।

निर्वाचन अधिकारियों में से जिनका 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में (31-3-98 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके 5 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर निर्वाचन अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका निर्वाचन अधिकारी और तहसीलदार (निर्वाचन) अनुभाग अधिकारी के रूप में दोनों को सम्मिलित करके 7 वर्ष का नियमित सेवाकाल या 31-3-98 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके 7 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-3-98 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिये, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जायेगी, कि सम्भरण प्रवर्ग पर तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी । परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-98 तक तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों को, जिन पर प्रोन्नति के लिये विचार किया जाना है, को कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने के विचार के लिये अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिये अपात्र समझा जायगा ।

स्पष्टीकरण.—अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिये अपात्र नहीं समझा जायेगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज,

	1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो या जिसे एक्सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।
	(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व 31-3-98 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी। यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :
	परन्तु 31-3-98 तक तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी। तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना ?	जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य द्वारा की जायेगी।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो
14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा।	लागू नहीं
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।	लागू नहीं
16. आरक्षण	उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा	सेवा में प्रत्येक सदस्य को विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेशों द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

[*Authoritative English text of this Departments notification No. 5-26/94-ELN, dated 1-2-2000 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

ELECTION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 1st February, 2000

No. 5-26/94-ELN.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Chief Electoral Officer, Class-I (Gazetted) in the Election Department, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification, namely :—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Assistant Chief Electoral Officer, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2000.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Repeal and savings.*—(i) The Himachal Pradesh Election Department, Class-I (Gazetted) Service, Assistant Chief Electoral Officer, Recruitment and Promotion Rules, 1995 notified *vide* this Departments Notification No. 5-26/94-ELN,dated 2-2-1996 are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule 2(*i*) *supra* shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

BHIM SEN,
Secretary.

ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT CHIEF ELECTORAL OFFICER (GAZETTED), CLASS-I IN THE ELECTION DEPARTMENT HIMACHAL PRADESH

1.	Name of the post	Assistant Chief Electoral Officer
2.	Number of posts	1 (One)
3.	Classification	Class-I (Gazetted)

4.	Scale of pay	Rs. 10025-275-10300-340-1 2000-375-13500-400-15100.
5.	Whether selection post or non-selection post?	Selection
6.	Age for direct recruitment	Not applicable
7.	Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees?	*Age* : Not applicable *Educational qualifications* : Not applicable
9.	Period of probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10.	Method of recruitment —whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	100% by promotion
11.	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion/deputation, transfer is to be made.	By promotion from amongst the Electoral Officers having 5 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service (rendered upto 31-3-1998) service in the grade, failing which by promotion from Electoral Officers having 7 years regular service or regular combined with *ad hoc* service (rendered upto 31-3-1998) as Electoral Officer and Tehsildar (Election)/Section Officer *both combined.* (1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-98, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules, provided that : In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-98) followed by regular service/appointment

in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less :

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule 3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous *ad hoc* service rendered on the feeder post upto 31-3-1998, if any, prior to the regular appointment/promotion shall be taken in to account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment against such posts had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the recruitment and promotion Rules :

Provided that *inter se* seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered upto 31-3-1998 as referred to above shall remain unchanged.

12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	To be prescribed over by the Chairman, H. P. Public Service Commission or a Member thereto be nominated by him.
13	Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.	As required under the law
14	Essential requirement for a direct recruitment.	Not applicable
15	Selection for appointment to the post by direct recruitment.	Not applicable
16.	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17.	Departmental Examination	(1) Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1997.
18.	Powers to relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H. P. P. S. C., relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित